

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
वीरवार, 08 सितम्बर, 2022/17 भाद्रपद, 1944 (शक)

संख्या-87

सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, दिल्ली से माननीय अध्यक्ष को दिनांक 06.09.2022 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे ससम्मान आपको यह सूचित करना है कि मैंने दिल्ली पुलिस अधिनियम-1978 की धारा 65 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देना अपना कर्तव्य समझा है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यगण 1. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी 2. श्री मोहन सिंह बिष्ट 3. श्री अजय कुमार महावर 4. श्री जितेन्द्र महाजन 5. श्री विजेन्द्र गुप्ता 6. श्री अभय वर्मा एवं श्री अनिल कुमार बाजपयी को नई दिल्ली जिला क्षेत्र में कानून और व्यवस्था तथा सार्वजनिक शांति बनाये रखने के लिए हिरासत में लिया जाना चाहिए।

तदनुसार, दिनांक 06.09.2022 को अपराह्न 04.00 बजे उन्हें तिलक मार्ग पुलिस थाना, नई दिल्ली क्षेत्र से हिरासत में लिया गया और मंदिर मार्ग पुलिस थाना, नई दिल्ली ले जाया गया। उसी दिन, अपराह्न 05.30 बजे उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस थाना, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।”

राज कुमार
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)

Thursday, 08 September, 2022/17, Bhadrapad, 1944 (Shaka)

No. 87

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

Hon'ble Members are hereby informed that following message dated 06.09.2022, addressed to Hon'ble Speaker has been received from Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, Delhi:

“I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978 to direct that 1. Shri Ramvir Singh Bidhuri, 2. Shri Mohan Singh Bisht, 3. Shri Ajay Kumar Mahawar, 4. Shri Jitender Mahajan, 5. Shri Vijender Gupta, 6. Shri Abhay Verma, and 7. Shri Anil Kumar Bajpai, Hon'ble Members of Legislative Assembly of Delhi be detained for maintaining law and order and public peace in the area of New Delhi District.

Accordingly, on 06.09.2022 at 04.00 PM, they were detained from the area of Police Station Tilak Marg, New Delhi and were taken to Police Station Mandir Marg, New Delhi. At 05.30 PM, on the same day, they were released from Police Station Mandir Marg, New Delhi.”

**Raj Kumar
Secretary**